न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 01/21 प्रा. पत्र

1- श्रीमती चन्द्रा देवी w/o श्री शंकरलाल बलाई निवासी-रहूका तहसील-मांडल --प्रार्थी
2. श्री सुशील कुमार S/o श्री शंकरलाल बलाई निवासी-रहूका तहसील-मांडल

बनाम

1- श्री नाथुराम S/o श्री रामलाल बलाई निवासी-रहूका तहसील-मांडल --विपक्षीगण
2. श्री घासीलाल S/o श्री देवा बलाई निवासी-रहूका तहसील-मांडल
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा. मांडल तहसील-मांडल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 6.12.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रहूका पटवार हल्का रहूका तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 573 590 589 596 597 550, 561, 179 कुल किता 08 रकबा 3.2779 हेक्टेयर स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6.12.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रहूका पटवार हल्का रहूका तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 573, 590, 589, 596, 597, 550, 561, 179 कुल किता 08 रकबा 3.2779 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पंचायत को 1400/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर ... नहीं की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:32:10 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021